पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मंडला

ATL / Vocational Instructor हेतु साक्षात्कार (सत्र 2025-26)

दूरभाष संख्या : 07642-251853 विज्ञापन तिथि : 18.09.2025

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मंडला में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए ATL / Vocational Instructor के पद पर पूर्णतः अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु पैनल तैयार किया जाना है अतः पात्र उम्मीदवार दिनांक 24.09.2025 दिन बुधवार को अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं उनकी छायाप्रतियों तथा एक रंगीन पासपोर्ट फोटो के साथ पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मंडला में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं | साक्षात्कार हेतु पंजीयन प्रातः 08.00 बजे से 10.00 बजे के बीच किया जाएगा एवं साक्षात्कार पूर्वाह्न 11.00 बजे से आरम्भ होगा |

Educational qualification of ATL / Vocational Instructor

1. B. E. / B. Tech, Electronics & communication Engineering
2. Minimum One Year Experience in the relevant field.

नोट: अन्य विस्तृत जानकारी हेतु कृपया विद्यालय Website: https://mandla.kvs.ac.in का अवलोकन करें |

प्राचार्य

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मंडला

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय मंडला में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए ATL / Vocational Instructor के पद पर पूर्णतः अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने के लिए साक्षात्कार सूचना एवं निर्देश |

साक्षात्कार की तिथि एवं पद / Schedule for Interview	
Date	**Post / Qualification**
24.09.2025 (Wednesday)	ATL / Vocational Instructor Educational qualification of ATL / Vocational Instructor 1. B. E. / B. Tech, Electronics & communication Engineering 2. Minimum One Year Experience in the relevant field.

महतवपूर्ण निर्देश :

1. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी / अंश कालीन आधार पर है |

   साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों का पंजीयन, साक्षात्कार के दिन ही सुबह 08.00 से 10.00 बजे विद्यालय में किया जाएगा | पंजीयन के लिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा | कोई भी आवेदन ईमेल, डाक, कोरियर या अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे | साक्षात्कार तिथि से पूर्व कोई भी आवेदन विद्यालय में स्वीकार नहीं किये जायेंगे | खाली आवेदन प्रपत्र विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा |
2. अपात्र उम्मीदवारों के आवेदन तुरंत ही कारण बताकर वापिस कर दिए जायेंगे |
3. आवेदकों द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर आवेदन चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है |
4. नियुक्ति एवं मानदेय का भुगतान केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार होगा |
5. विद्यालय हित में किसी भी अंश कालीन / संविदा कर्मचारी की सेवायें बिना कारण बताये किसी भी समय समाप्त की जा सकती है |

(आर एस उलाडी)

प्राचार्य